



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक २२५० /१२-१ दिनांक, मसूरी १२ -०१-२०१६।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सहस्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां माटर मार्ग (कुल लम्बाई -11.425 किमी०) के निर्माण हेतु 9.194 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/13657/2015 dt. 02.07.2015.

सन्दर्भ :-
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से दि० 16-12-2015 को EDS Querry के तहत मार्ग के समरेखण में आ रही उत्तराखण्ड सरकार की 0.5670 है० भूमि राजस्व अभिलेखों में सिविल सोयम वन के रूप में दर्ज होने की विधिक स्थिति के सम्बन्ध में संगत दस्तावेज (यथा खसरा खतौनी) को ऑनलाइन पी०डी०एफ० फाईल में अपलोड कर उक्त दस्तावेज की हार्ड प्रति इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आपके द्वारा अपने पत्र सं० 13/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सिंच०-दै०दून/वन भूमि, दि० 07-01-2016 से प्रस्ताव में पूर्व से चर्चा प्रपत्र 15.2 की छाया प्रति संलग्नकर आनलाइन अपलोड की गयी है जो मानक दस्तावेज /Legal status may be entered as Revenue forest for civil soyam forest के अनुसार नहीं है।

कृपया मार्ग के समरेखण में आ रही उत्तराखण्ड सरकार की 0.5670 है० भूमि राजस्व अभिलेखों में सिविल सोयम वन के रूप में दर्ज होने की विधिक स्थिति के सम्बन्ध में संगत दस्तावेज (यथा खसरा खतौनी) को ऑनलाइन पी०डी०एफ० फाईल में अपलोड कर उक्त दस्तावेज की हार्ड प्रति इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उक्तानुसार।

पत्रांक २२५० /१२-१() तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।

भूमि
(डा० धीरज पाण्डे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

O
(डा० धीरज पाण्डे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।